

# कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापक ..... दिनांक .....

## आवश्यक सूचना

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जो होल्डिंगधारी अग्री SAF फार्म भरकर कार्यालय में जमा नहीं किये हैं वैसे होल्डिंगधारी अपना SAF फार्म दिनांक 31.08.2017 तक कार्यालय में जमा कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं साथ ही वैसे होल्डिंगधारी जो SAF फार्म भर चुके हैं परन्तु उनके द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है वे भी अपना टैक्स दिनांक 31.08.2017 तक नगर निगम कार्यालय एवं स्पैरो सॉफ्ट टेक प्रा0 लि0 के तहसीलदार के पास जमा कर सकते हैं। अन्तर्गत समय गुजरने के बाद आवारणीय भवन पर 2000 एवं व्यवसायिक भवन पर 5000 रु0 टैक्स जुर्माना होल्डिंग टैक्स के साथ वसूली की जाएगी।

EC

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापक 2515 दिनांक 19/8/2017

प्रतिलिपि :- नगर परिषद कार्यालय सूचना पट पर सात कर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ/  
Website <http://udhd.gov.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।

20  
नाक

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम